पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक विविध मामला संख्या 39100

थाना मामला संख्या-133 वर्ष-2013 थाना-श्रीकृष्णपुरी जिला-पटना से उत्पन्न

==========

रितु राज, पुत्र- डॉ. उदय प्रताप नारायण सिंह, निवासी 2 एम/77 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, महात्मा गांधी नगर, थाना-बहादुरपुर, जिला-पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. नीलू कुमारी, पत्नी- रितु राज, पुत्री- नवलेश शर्मा, निवासी पश्चिमी आनंद पुरी, मकान संख्या 13 ई/11, थाना-श्रीकृष्णपुरी, जिला-पटना।

...विपक्षी पक्ष/ओं

==========

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/पक्षों के लिए	:	श्री रितु राज, स्वयं याचिकाकर्ता
विपक्षी पक्ष सं. 2 के लिए	:	श्री एन. के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री गौरव कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	डॉ. इंदीवर कुमारी, एपीपी

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482*
- *भारतीय दंड संहिता की धाराएं 341, 323, 504, 498 ए और 506/34*
- *हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13*

संदर्भित मामले:

- *अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 2379/2024 में पारित*
- *नीलू चोपड़ा एवं अन्य बनाम भारती, सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 949/2003 में पारित*
- *महमूद अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 2341/2023 में पारित*
- *सलीब उर्फ शालू उर्फ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 2344/2023 में पारित*
- *अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 1457/2015 में पारित*

याचिका– याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 498A और 506/34 के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने हेतु दायर की गई।

निर्णय- इस कथित घटना को लेकर याचिकाकर्ता और सूचक (पत्नी) की कहानी में विरोधाभास है, लेकिन यह विचारणीय विषय है। (पैरा 6)

जाँच के दौरान, सूचक अपने मुख्य आरोपों पर दृढ़ रही और उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया। (पैरा 6)

सूचक ने अपने पति के साथ तीन साल बिताए और एक संतान को जन्म दिया, इसलिए उसके झूठा मामला दर्ज कराने का कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता, जबकि याचिकाकर्ता को हेपेटाइटिस-बी बीमारी के कारण पत्नी से छुटकारा पाने की इच्छा हो सकती थी। (पैरा 6)

भले ही याचिकाकर्ता ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही तलाक का मुकदमा दायर किया था, लेकिन केवल इसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि सूचक ने बदले की भावना से शिकायत दर्ज कराई थी। (पैरा 6)

याचिकाकर्ता की बहनों को पुलिस ने अलग आधार पर निर्दोष पाया, क्योंकि वे शादीशुदा थीं और घटना के समय अपने ससुराल में रह रही थीं। लेकिन, पति (याचिकाकर्ता) पर लगे आरोपों को उनकी बहनों पर लगे आरोपों के समान नहीं माना जा सकता। (पैरा 6)

सूचक की शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण प्रतीत नहीं होत और यह मानने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं कि उसने बदले की भावना से मामला दर्ज कराया है। (पैरा 6)

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि एफआईआर दर्ज करवाते समय सूचक घायल अवस्था में थी, जो अभियोजन के पक्ष में जाता है। (पैरा 6)

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव के बिंदुओं की जाँच ट्रायल कोर्ट द्वारा की जाएगी और दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने के बाद ही सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मुकदमे के प्रारंभिक चरण में याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त करना उचित नहीं होगा। (पैरा 6)

याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 6)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

सी ए वी निर्णय

दिनांक : 11-02-2025

श्री रितु राज, स्वयं याचिकाकर्ता, श्री एन.के अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सूचक की ओर से उपस्थित हुए, जिनकी सहायता श्री गौरव कुमार, अधिवक्ता और डॉ. इंदीवर कुमारी, राज्य की ओर से विद्वान एपीपी ने की।

2. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'दं. प्र. सं.') की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता, रितु राज द्वारा दायर की गई है, जो स्वयं उपस्थित हुए और अपने मामले पर बहस की। याचिकाकर्ता ने एसके पुरी थाना काण्ड संख्या 133/2013 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दिनांक 05.07.2014 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा. द. सं.') की धाराओं 341, 323, 504, 498 ए और 506/34 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया है और आई.ए. 01/2023 दायर करके उन्होंने अनुतोष में संशोधन के लिए प्रार्थना की है और यह खुलासा किया है कि याचिकाकर्ता का मुकदमा शुरू हो गया है, इसलिए, आरोप तय होने के बाद परिणामी कार्यवाही शुरू हो गई है, संज्ञान आदेश के साथ इसे भी रद्द कर दिया जाना चाहिए।

3. याचिकाकर्ता द्वारा आदेश को चुनौती देने के लिए उठाए गए मुख्य आधार यह है कि सबसे पहले, ओपी नंबर 2, जो उनकी पत्नी हैं, द्वारा एसके पुरी थाना

काण्ड नंबर 133/2013 की प्राथमिकी में लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उक्त प्राथमिकी उनके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा फैमिली कोर्ट, पटना में 03.07.2012 को वैवाहिक केस नंबर 489/2012 में दायर तलाक के मामले के प्रतिशोध में दर्ज कराई गई है और एस के की प्राथमिकी दर्ज होने से पहले एक सूचनात्मक याचिका भी दायर की गई थी। पुरी पी.एस. मामला संख्या 133/2013 जिसमें याचिकाकर्ता ने ओ.पी. संख्या 2 द्वारा झूठे मामले में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसाए जाने की संभावना की आशंका व्यक्त की थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ओ.पी. संख्या 2, याचिकाकर्ता की पत्नी, शादी के समय हेपेटाइटिस-बी नामक एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी, जिसे ओ.पी. संख्या 2 और उसके माता-पिता के परिवार के सदस्यों ने दबा दिया था और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, हेपेटाइटिस-बी एक संक्रामक रोग है और यौन संबंध द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकता है और इस मजबूर परिस्थिति के कारण, याचिकाकर्ता को तलाक का मामला दायर करना पड़ा और उस मामले को दायर करने के बाद, उसकी पत्नी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक अवैध संबंध भी उसके ज्ञान में आया, जिसके लिए उसने अपने तलाक के मामले में आवश्यक कदम उठाए हैं। 2013 के आपराधिक विविध सं 33407 के आदेशानुसार, ओ.पी. क्रमांक 2 के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने पाया कि ओ.पी. क्रमांक 2 हेपेटाइटिस-बी रोग से पीड़ित था।

दूसरी बात, पूरी प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और उन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने कुछ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता, उसके पिता और माता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आपराधिक अपील संख्या 2379/2024 अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** के मामले में निर्धारित सिद्धांत के बिल्कुल

विपरीत है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ओ.पी. संख्या 2 द्वारा उसकी प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर शारीरिक हमला किया गया था, लेकिन उक्त आरोप का समर्थन करने के लिए कोई भी चिकित्सा साक्ष्य नहीं है और यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि कथित समय पर, न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके पिता कथित स्थान पर मौजूद थे, बल्कि दोनों अपनी पोस्टिंग स्थानों पर मौजूद थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ओ.पी. संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के पिता और माता के खिलाफ गांधी मैदान थाना काण्ड संख्या 212/2013 दिनांक 03.06.2013 के तहत एक और आपराधिक मामला भी दर्ज किया था, जिसमें उसके ससुर द्वारा 30.05.2013 को उसके सिर पर लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने गांधी मैदान पीएस की जांच की। केस संख्या 212 वर्ष 2013 में कोई साक्ष्य नहीं मिला और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। और पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता के पिता कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे बल्कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, धनरुआ, पटना में अपनी ड्यूटी पर थे और इस संबंध में पुलिस ने धनरुआ, पटना के पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने आगे कहा कि ओ.पी. नंबर 2 के पिता ने ओ.पी. नंबर 2 के साथ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा दायर वैवाहिक मामला संख्या 489/2012 में अपना साक्ष्य दर्ज किया है और ओ.पी. नंबर 2 के पिता द्वारा उनके साक्ष्य में दिए गए बयान वर्तमान मामले की प्राथमिकी में ओ.पी. नंबर 2 द्वारा लगाए गए आरोपों के पूरी तरह विरोधाभासी हैं। उपरोक्त प्रस्तुतियों और आधारों के समर्थन में याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(i) नीलू चोपड़ा और अन्य बनाम भारती आपराधिक अपील संख्या 949/2003 में पारित मामले में, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 4 और 5, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "4. हमने शिकायत को बहुत ध्यान से देखा है। शिकायत को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि समस्या शादी के छह महीने बाद ही शुरू हुई। शिकायत के पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि सभी आरोपी शिकायतकर्ता के माता-पिता के घर गिद्दड़बाहा आए और उसके माता-पिता से कहा कि वे शिकायतकर्ता को दहेज के रूप में और सोना और अन्य सामान दें अन्यथा वे शिकायतकर्ता को वहीं छोड़ देंगे और राजेश की दूसरी शादी हो जाएगी। पैराग्राफ 4 में, शिकायत राजेश के खिलाफ इस अर्थ में है कि आरोपी राजेश ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह गहने और कपड़े अपने माता-पिता को सौंप दे, नहीं तो वे रास्ते में खो जाएंगे। दिल्ली पहुंचने पर जब शिकायतकर्ता ने गहने वापस मांगे, तो उन्हें वापस नहीं किया गया। जब हम शिकायत को समग्र रूप से देखते हैं तो यह मूल रूप से आरोपी राजेश के खिलाफ है। सभी आरोप राजेश के खिलाफ हैं। इसमें निस्संदेह वर्तमान अपीलकर्ताओं का कुछ संदर्भ है, लेकिन जो बात हमें चौंकाती है वह यह है कि आभूषण किस तारीख को सौंपे गए, आभूषणों की सही संख्या या उनका विवरण और आभूषण वापस मांगे जाने की तारीख और उन्हें वापस देने से इनकार करने के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। यहां तक कि आभूषणों के वजन का भी शिकायत में उल्लेख नहीं किया गया है और यह एक सामान्य और अस्पष्ट शिकायत है कि

आभूषण कभी-कभी अपीलकर्ताओं की हिरासत में दिए गए थे और उन्हें वापस नहीं किया गया। जो बात हमें और भी चौंकाती है वह यह है कि शिकायत के पैराग्राफ 10 में भी जहां शिकायतकर्ता कहती है कि उसने अपने कपड़े और आभूषण मांगे जो आरोपियों को दिए गए और उन्होंने उन्हें वापस देने से इनकार कर दिया, तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। संज्ञान लेने के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के कथन का उल्लेख किया है, जिसका समर्थन भगवती और धर्मपाल ने भी किया है कि आभूषण कृष्ण सरूप और राजेश को सौंपे गए थे, जबकि कपड़े राखी को सौंपे गए थे और उन्होंने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उनके कथन भी अस्पष्ट शिकायत से बेहतर नहीं हो सकते। यहां तक कि कपड़ों के बारे में भी, जिस तारीख को उन्हें राखी को सौंपा गया, जो वर्तमान अपीलकर्ताओं की बेटी है और अन्य विवरण बहुत महत्वपूर्ण रूप से अनुपस्थित हैं। शिकायतकर्ता का यह भी कथन था कि उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके समर्थन में उसने एम्स अस्पताल, नई दिल्ली से प्रमाण पत्र दाखिल किया है। हालांकि, शिकायत में यह नहीं देखा गया है कि किस तारीख को उसे पीटा गया और किसने पीटा। यह ध्यान देने योग्य है कि राखी, चौथी मूल आरोपी के खिलाफ मामला पहले ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि वह वास्तव में उसी घर की निवासी भी नहीं थी।

5. उचित शिकायत दर्ज करने के लिए, केवल धाराओं और उन धाराओं की भाषा का उल्लेख करना ही मामले का अंत नहीं है। न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विवरण और उस अपराध को करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका है। जब हम शिकायत देखते हैं, तो शिकायत दुखद रूप से अस्पष्ट है। यह नहीं दर्शाता है कि किस अभियुक्त ने क्या अपराध किया है और अपराध करने में इन अपीलकर्ताओं की क्या भूमिका है। राजेश के खिलाफ कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आरोप उसके खिलाफ अधिक सटीक रूप से लगाए गए हैं, लेकिन वह अब जीवित नहीं है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में, राजेश के वृद्ध माता-पिता, वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन को अस्पष्ट और सामान्य शिकायत के आधार पर जारी रखने की अनुमति देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जो अपीलकर्ताओं के सटीक कृत्यों के बारे में चुप है। ”

(ii). **महमूद अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य आपराधिक अपील संख्या 2341/2023** में पारित मामले में, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 12 जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा जताया है, उसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

“12. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण बात पर गौर करना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (दं. प्र. सं.) की

धारा 482 के तहत निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करवाने के लिए आता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को ध्यान से और थोड़ा और बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने आदि के गुप्त उद्देश्य से अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकी /शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई हो। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकी /शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा करें। इसलिए, अदालत के लिए केवल प्राथमिकी /शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना ही पर्याप्त नहीं होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, अदालत का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य

> परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने की कोशिश करे। न्यायालय को दं. प्र. सं. की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय खुद को केवल मामले के चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए वर्तमान मामले को ही लें। पिछले कुछ समय में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कई प्राथमिकी दर्ज करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने का मामला सामने आता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।"

(iii). **सलीब उर्फ शालू उर्फ सलीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ने आपराधिक अपील संख्या 2344/2023** में निर्णय पारित किया, तथा जिस निर्णय पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, उसके पैराग्राफ संख्या 26 में **महमूद अली (*उपरोक्त*)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उसी दृष्टिकोण को दोहराया गया।

(iv) **अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य ने आपराधिक अपील संख्या 2379/2024** में निर्णय पारित किया, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 18 जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा जताया है, उसे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "18. प्राथमिकी और आरोपपत्र के कागजात को पढ़ने से पता चलता है कि प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप काफी अस्पष्ट, सामान्य और व्यापक हैं, जिसमें आपराधिक आचरण का कोई उदाहरण नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिकी में कथित अपराध/अपराधों की कोई विशिष्ट तारीख या समय नहीं बताया गया है। यहां तक कि पुलिस ने अपीलकर्ता के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही बंद करना उचित समझा। इस प्रकार, हमारा मानना है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी तलाक याचिका और घरेलू हिंसा मामले का जवाबी हमला मात्र थी।"

(v). **अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 1457/2015** में पारित, प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 19, 20 और 21, जिन पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "19. वर्तमान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भावना ने फरवरी, 2009 में अपने ससुराल और ससुराल वालों से अलग होने का फैसला किया, चाहे वह स्वेच्छा से हो या अन्यथा, लेकिन उसने वर्ष 2013 तक दहेज उत्पीड़न के संबंध में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। आश्चर्यजनक रूप से, प्राथमिकी संख्या 56 दिनांक 09.02.2013 में दर्ज है कि अपराध की घटना 02.07.2007 से 05.02.2013 तक थी,

लेकिन फरवरी, 2009 में अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के बाद भावना द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। गौरतलब है कि भावना ने निमिश से 19 फरवरी, 2009 को विवाह किया था। 02.07.2007 को इंदौर में रहने के बाद 08.07.2007 को उसके साथ मुंबई चली गई। उसके बाद से उसका अपने ससुराल वालों से संपर्क केवल त्यौहारों के दौरान ही हुआ और बताया जाता है कि लगभग 3 या 4 बार हुआ। सौरभ, एक आर्किटेक्ट है, वर्ष 2007 से दिल्ली में तैनात था और भावना द्वारा उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप कभी नहीं लगाया गया था। वास्तव में, उसने केवल एक सामान्य आरोप लगाया था कि उसने दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसके द्वारा इस संबंध में कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया गया या इस बारे में नहीं बताया गया कि उसने दिल्ली से उसे इस तरह के उत्पीड़न के अधीन कैसे किया। इसी तरह, अभिषेक उसकी शादी के 6 या 7 महीने बाद न्यायिक अधिकारी बन गया और ऐसा लगता है कि उसे मुंबई में भावना और निमिष के साथ रहने का कोई मौका नहीं मिला। उसका उसके साथ संपर्क केवल तब होता था जब वह त्यौहारों के दौरान अपने ससुराल आती थी। हैरानी की बात है कि भावना का आरोप है कि अपनी शादी के समय अभिषेक ने भावना और उसके माता-पिता से मांग की थी कि वे उसे एक

कार और 2 लाख नकद दें। वह अपनी शादी के समय अपनी साली से दहेज की इतनी मांग क्यों करेगा, भले ही वह ऐसा अवैध काम करने के लिए इच्छुक हो, यह बात समझ से परे है और इसे समझना मुश्किल है। इसके अलावा, भावना ने अभिषेक के खिलाफ हाईकोर्ट में एक दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने की बात कबूल की है, जिससे यह साफ पता चलता है कि उसके देवर अभिषेक के मामले में उसकी मंशा साफ नहीं थी और वह स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों से बदला लेना चाहती थी। भावना द्वारा अपनी सास कुसुम लता के खिलाफ लगाए गए आरोप कि जब वह मैक्सी पहनती थी तो वह उसे कैसे ताना मारती थी, धारा 498ए भा. द. सं. के तहत क्रूरता का मामला बनने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।

20. हम यह भी ध्यान दें कि भावना ने खुद दावा किया है कि निमिश 2012 में उसके भाई की शादी में आया था, लेकिन उसके पास 2009 के बाद उसकी सास और उसके भाइयों द्वारा दहेज के लिए किए गए किसी भी उत्पीड़न के संबंध में कोई विवरण नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस अवधि के लिए भी, उसके आरोप ज्यादातर सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं, बिना किसी विशिष्ट विवरण के कि कैसे और कब उसके भाइयों और सास ने, जो अलग-अलग शहरों में रहते थे, उसे दहेज के लिए परेशान किया।

21. भावना के मामले में सबसे नुकसानदायक तथ्य यह है कि उसने फरवरी, 2009 में अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं किया और अपने पति द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू करने से ठीक पहले वर्ष 2013 में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।"

4. दूसरी ओर, ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष के मामले को केवल कुछ विरोधाभासों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है और जहां तक इस मामले का संबंध है, याचिकाकर्ता ने तलाक के मुकदमे में दिए गए साक्ष्यों के आलोक में विरोधाभासों को इंगित किया है, जबकि वर्तमान मामले में, जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, याचिकाकर्ता का मुकदमा चल रहा है और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की जानी है और जांच के दौरान, पर्याप्त साक्ष्य सामने आए, जिन पर जांच अधिकारी ने भरोसा किया और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों को आरोप पत्र दायर किया गया। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि वह कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, विचरण न्यायालय द्वारा जांची जानी है और यह साक्ष्य का विषय है और प्राथमिकी में अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी देना आवश्यक नहीं है, इसलिए अभियोजन पक्ष के मामले को केवल कथित मांगों आदि के बारे में कुछ जानकारी न देने के कारण प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि, प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेष आरोप हैं और कानून की यह स्थापित स्थिति है कि दहेज की मांग और क्रूरता से संबंधित आरोपों की प्रकृति के मद्देनजर पति और ससुराल वालों के साथ समान

व्यवहार नहीं किया जा सकता है, हालांकि कुछ आरोपियों को पुलिस ने अलग-अलग आधारों पर दोषमुक्त कर दिया है जो याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते हैं।

5. दोनों पक्षों को सुना और प्राथमिकी , केस डायरी और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी शामिल हैं।

6. याचिकाकर्ता सूचक का पति बताया जाता है तथा उनका विवाह दिनांक 06.06.2010 को हुआ था। सूचक के अनुसार, विवाह के समय उसके पिता ने उपहार स्वरूप आभूषण तथा इंडिगो कार खरीदने के लिए नकद राशि दी थी तथा विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो उसके पति की बहनों तथा माता-पिता ने उसे लॉकर में रखने के बहाने आभूषण ले लिए तथा 20,00,000/- रूपये नकद तथा एक लग्जरी वाहन की मांग करने लगे तथा इसके लिए उन्होंने उसके साथ मारपीट की तथा इस कृत्य में याचिकाकर्ता भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सम्मिलित था तथा सूचक के अनुसार, वह कुछ समय तक चुप रही तथा अपने ससुराल वालों के व्यवहार को सहन करती रही, लेकिन जब उन्होंने उसके पिता से 20,00,000/- रूपये की मांग पूरी करने को कहा तो वह चुप हो गई। 20,00,000/- रुपये और वाहन की मांग पूरी न होने पर सूचक को वापस ले जाने की धमकी देते हुए उसके पिता ने उन्हें 2,00,000/- रुपये की फिक्स डिपोजिट दी, लेकिन तब भी याचिकाकर्ता सहित आरोपियों का व्यवहार नहीं बदला और वे उसे तरह-तरह से परेशान करते रहे और जब वह गर्भवती हो गई, तो याचिकाकर्ता सहित आरोपियों ने उस पर अजन्मे बच्चे को गिराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपनी पिछली मांग दोहराई और मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। 03 जून, 2011 को उसे उसके ससुर ने अपने घर से निकाल दिया, जब वह सात महीने की गर्भवती थी और उसे पूरी रात

आरोपियों के घर के बाहर बितानी पड़ी। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उसे आरोपी द्वारा घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे सीढ़ी से धक्का दे दिया गया जिससे उसे और उसके बेटे को चोटें आईं और फिर वह अपने माता-पिता के घर वापस आ गई। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति का गोवा में तबादला हो गया था, तब वह, उसका भाई और मां याचिकाकर्ता के साथ एक खुशहाल वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू करने की उम्मीद में अपने पति की पोस्टिंग जगह पर गए, जहां वे याचिकाकर्ता से पहली बार उसकी पोस्टिंग जगह पर मिले, जहां से उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा अपने निवास स्थान पर लाया गया, लेकिन उसके बाद, याचिकाकर्ता ने उसकी मां और भाई के सामने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और स्थानीय पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ चोरी और मारपीट का झूठा मामला भी दर्ज कराया, जो पूरी तरह से झूठा था और स्थानीय पुलिस ने घटना की पुष्टि करने और आरोपों में सच्चाई जानने के बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि वर्तमान मामले की प्राथमिकी दर्ज होने से एक दिन पहले, रात में, उसके ससुर और दो अन्य व्यक्ति नशे की हालत में उसके पैतृक घर (नैहर) आए और उसके साथ गाली-गलौज करने लगे और 20,00,000/- रुपये और एक वाहन की मांग दोहराई और उसे तलाक देकर याचिकाकर्ता के साथ उसकी शादी को तोड़ने की धमकी भी दी और उसके साथ मारपीट की और उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया और इस दौरान, उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी और कोरे कागजों पर जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर करवा लिए। अभियोजन पक्ष की इस कहानी से, याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में विशिष्ट भूमिका का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा गोवा में सूचक, उसके भाई और मां के साथ हुई घटना प्रासंगिक है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने पूरक हलफनामे में स्वीकार किया है कि उसके घर पर, ओ.पी. नंबर 2 और उसके परिवार के

सदस्यों ने 28.06.2012 को गोवा में उसके साथ मारपीट की, जहां वह उस समय काम करता था। उक्त तथ्य सूचक की कहानी के पक्ष में जाता है कि वह और उसके माता-पिता के परिवार के सदस्य याचिकाकर्ता की पोस्टिंग के स्थान पर गोवा गए थे, हालांकि, कथित घटना के संबंध में याचिकाकर्ता की कहानी और सूचक की कहानी के बीच विरोधाभास है लेकिन यह परीक्षण का विषय है, लेकिन फिर भी, उक्त तथ्य को कुछ हद तक अभियोजन पक्ष के पक्ष में माना जा सकता है। जांच के दौरान, सूचक अपने मुख्य आरोपों पर अडिग रही और उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसके आरोपों का समर्थन किया। सूचक एक शिक्षित महिला है और बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत है तथा उसके विवाह में उसके माता-पिता ने विवाह समारोहों में काफी धन खर्च किया था तथा याचिकाकर्ता के साथ लगभग तीन वर्ष बिताने तथा याचिकाकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध से एक बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसे याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा, जो सामान्यतः तब तक नहीं होता जब तक कोई चरम स्थिति उपलब्ध न हो तथा इस न्यायालय को सूचक की ओर से अपने पति के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला, जबकि दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के पास हेपेटाइटिस-बी की गंभीर बीमारी के कारण सूचक से छुटकारा पाने का कारण हो सकता है। यद्यपि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले की प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व ही तलाक का मामला दर्ज करा दिया था, लेकिन केवल इस तथ्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि सूचक ने दुर्भावनापूर्ण इरादे तथा बदले की भावना से मामला दर्ज कराया है। यद्यपि पुलिस ने याचिकाकर्ता की बहनों को दोषमुक्त कर दिया है, लेकिन अलग आधार पर क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ता की विवाहित बहनें बताया गया है और कुछ गवाहों की जांच करने के बाद, जांच अधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता की बहनें प्रासंगिक समय के दौरान अपने ससुराल में रह रही थीं, हालांकि, ऊपर चर्चा की गई क्रूरता के संबंध में

सूचक द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ता की बहनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बराबर नहीं माना जा सकता है। हालांकि पुलिस ने गांधी मैदान थाना काण्ड नंबर 212/2013 में सूचक द्वारा उसके ससुर और अन्य के खिलाफ दर्ज अंतिम फॉर्म जमा कर दिया था, लेकिन उपरोक्त समर्पण के अनुसार, उक्त मामला अभी भी विचाराधीन है और उक्त थाना कांड की केस डायरी भी इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है, जिसका पैराग्राफ नंबर 3 से पता चलता है कि सूचक के शरीर पर कुछ चोटें थीं और उसे पुलिस द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए पी.एम.सी.एच. रेफर किया गया था, हालांकि जांच के दौरान, पुलिस को उपचार के सभी प्रासंगिक कागजात नहीं मिल सके और इस कारण से और साथ ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के अन्य तकनीकी पहलुओं पर विचार किया गया। पिता के आधिकारिक निवास पर पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया, लेकिन एक परिस्थिति यह भी है कि जब सूचक अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित हुई तो वह घायल अवस्था में थी, जो वर्तमान मामले में भी कुछ हद तक अभियोजन पक्ष के पक्ष में जाती है। इन चर्चित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि सूचक द्वारा अपनी प्राथमिकी में लगाए गए आरोप तुच्छ या परेशान करने वाले नहीं हैं और इस न्यायालय को यह मानने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं मिली कि सूचक ने अपने पति से बदला लेने के लिए गुप्त उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज कराई है और इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां उद्धृत मामलों से पूरी तरह से अलग हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत याचिकाकर्ता की मदद नहीं करते हैं क्योंकि उसका मामला अभियोजन पक्ष की कहानी के संदर्भ में पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बचावों की विचरण न्यायालय द्वारा जांच की जानी है, जिसके संबंध में दोनों पक्षों से साक्ष्य

लेने के बाद ही सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है और मेरी राय में, साक्ष्य लिए बिना विचरण के शुरुआती चरण में याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, इस न्यायालय को इस याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है और आरोपित आदेश सही तरीके से पारित किया गया है, इसलिए, तत्काल आपराधिक विविध याचिका खारिज की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।